बिहार सरकार

समाहरणालय, सहरसा

(जिला स्थापना शाखा)

।।–आदेश–।।

बिहार सरकार

विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, सहरसा ने अपने पत्रांक 3459/गो० दिनांक 31-12-2015 द्वारा श्री रामचन्द्र यादव, राजस्व कर्मचारी, अंचल कहरा के विरूद्ध आरोप प्रपत्र–''क'' में श्रीमती मंजू देवी, पति– श्री रविन्द्र साह, साकिन– कहरा के नाम, कहरा प्रखंड परिसर की तीन कट्ठा भूमि का गलत तरीके से दाखिल खारिज शुद्धि पत्र की छाया प्रति का सृजन करने एवं जमाबन्दी कायम कर रसीद निर्गत करने एवं अन्य आरोप के कारण बिहार सरकारी सेवक आचरण (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के अधीन इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 273/स्था० दिनांक 24-02-2016 द्वारा श्री यादव को निलंबित करते हुए मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर निर्धारित किया गया। इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 274/स्था० दिनांक 24-02-2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के रूप में स्थापना उप समाहर्त्ता, सहरसा एवं संचालन पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। स्थापना उप समाहर्त्ता, सहरसा के कार्यालय पत्रांक 916 सपत्र/ दिनांक 28.07.2017 से संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

अतः तदनुसार आरोपी कर्मी श्री यादव के विरूद्ध गठित आरोप पत्र ''प्रपत्र–क'' श्री यादव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा एवं संचालन पदाधिकारी –सह– स्थापना उप समाहर्त्ता, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन की विवेचना निम्नवत की गई है।

क्र०	आरोप	आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मन्तव्य	संचालन पदाधिकारी का मन्तव्य
01	02	03	04	05
01	अवैध दाखिल खारिज शुद्धि पत्र की छाया प्रति जिस पर आर०टी०पी०एस० संख्या 3683/दिनांक 31 जुलाई 2014 तथा दा०खा० वाद संख्या 2539/2014–15 अंकित पाया गया है, जिसके आधार पर आपने जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत की है, का कोई साक्ष्य कार्यालय एवं आर०टी०पी०एस० कोषांग, कहरा में उपलब्ध नहीं है। कार्यालय में संधारित पंजी– 27 में वाद संख्या 2539/2014–15 रामेश्वर यादव, पिता– स्व० मोती लाल यादव, साकिन पटुआहा के नाम दा०खा० आवेदन स्वीकृत है एवं उसका आर०टी०पी०एस० संख्या 2383 दिनांक 17.05.2014 दर्ज है। इसकी पुष्टि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा ने भी अपने पत्रांक 579–2 दिनांक 04.06.2015 के द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में की है। विषयांकित भू–दान पर्चा कार्यालय/आर०टी०पी०एस० कोषांग को प्राप्त नहीं है, और न ही श्रीमती मंजू देवी पति रविन्द्र साह, साकिन– कहरा के नाम कोई आवेदन पत्र दाखिल खारिज हेतु प्राप्त हुआ है, कार्यालय में संधारित प्राप्ति पंजी वर्ष 2014 एवं आर०टी०पी०एस० कोषांग की गहन जाँच आई०टी० मैनेजर, सहरसा के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सादर, सहरसा के द्वारा की गई एवं अपने जाँच प्रतिवेदन में इसकी भी पुष्टि उन्होंने की है। आर०टी०पी०एस० संख्या 3674 से 3724 दिनांक 31 जुलाई 2014 कुल 51 आवेदन पत्र क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त कर सो–मोटो चार्ट तैयार करने हेतु आपके द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2014 को आर०टी०पी०एस० कोषांग, कहरा में दर्ज कराते हुए सीधे प्राप्त किया गये है, आपका प्राप्ति हस्ताक्षर आर०टी०पी०एस० कोषांग, कहरा के प्राप्ति पंजी पर अंकित है, तथा आर०टी०पी०एस० संख्या 3683 दिनांक 31 जुलाई 2014 जो दुखा साह पिता– महाबीर साह के नाम से आर०टी०पी०एस० कोषांग में अंकित है को लंबित रखने के कारण आपसे	दाखिल खारिज अभिलेख पर वाद संख्या अंचल कार्यालय, कहरा के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सह दाखिल खारिज प्रभारी श्री संजीव कुमार झा के द्वारा दर्ज किया गया है। इसलिए श्री झा को बताना चाहिए कि श्रीमति मंजू देवी, पति– रविन्द्र साह के शुद्धि पत्र के पर कॉलम 02 में वाद सख्यां 2539/2014–15 उन्होंने किस परिस्थिति में दर्ज किया है। श्रीमति मंजू देवी के नाम से शुद्धि पत्र संलग्न किया जाता है। इस शुद्धि पत्र के कॉलम 02 में दर्ज वाद संख्या एवं श्री झा के लिखावट की जाँच साथ ही आरोप के साथ संलग्न आर०टी०पी०एस० क्रमांक 2343 दिनांक 17.05.2014 में दर्ज वाद संख्या 2539/2014–15 के लिखावट की जाँच वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। राजस्व कर्मचारी वाद संख्या दर्ज नहीं करते हैं दिनांक 15 जनवरी 2015 को दैनिक जागरण में प्रकाशित सामाचार की दान में दे दी गई कहरा प्रखंड की जमीन के वाद अंचल कार्यालय, कहरा में आर०टी०पी०एस० क्रमांक दाखिल खारिज वाद संख्या में हेरफेर किया गया, जिसके लिए अंचल कार्यालय, कहरा दोषी है किन्तु अधोहस्ताक्षरी न तो पंजी 27 का प्रभारी है एवं न तो आर०टी०पी०एस० काउन्टर का प्रभारी है। अभिलेख भू–दान नामान्तरण विवादित वाद को अंचल कार्यालय से अंचल कर्मी, अंचल अधिकारी, कहरा के मिली भगत से	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा का पत्रांक 471–2/सपत्र दिनांक 31.03.2017	आरोप के परिप्रेक्ष्य में आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पत्रांक 579–2 दिनांक 04.06.2016 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न साक्ष्यों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि (i) जो भूदान पर्चा मंजु देवी, पति– रविन्द्र साह को निर्गत किया गया जिसका चौहद्दी पर्चा पर निम्न अंकित पाया गया :– उ0–बिहार सरकार, द0–मंजु देवी, पु0–पु0 देवी, प0–बिहार सरकार अंकित था। स्थानिय जाँच में उक्त चौहद्दी की कोई भूमि सरजमीन पर नहीं मिली। (ii) अंचल कार्यालय, कहरा के आर०टी०पी०एस० आवेदन पंजी पर आर०टी०पी०एस० नं0–3674 से 3724 तक राजस्व कर्मचारी हलका नं0–05 रामचन्द्र यादव को दिनांक 21.07.2014 को आवेदन जाँच हेतु प्राप्त कराया गया जिसमें से आर०टी०पी०एस० नं0–3683 आवेदन पत्र जाँच कर आरोपी राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। आरोपी कर्मी श्री रामचन्द्र यादव द्वारा दो जमाबंदी पंजी उपलब्ध कराया गया जमाबंदी नम्बर 4392 श्रीमति मंजु देवी पति–रविन्द्र साह के नाम से अंचल अधिकारी, कहरा केश नम्बर 2539/14–15 के आदेशानुसार जमाबंदी नं0–210 से

स्पष्टीकरण की मांग अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 1878 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा की गई थी। आपके द्वारा स्पष्टीकरण अप्राप्त।		गायब किये एवं साक्ष्य को नष्ट किये है। यह बात सही है कि दिनांक 31.07.2014 को अंचल कार्यालय, कहरा से आर०टी०पी०एस० संख्या 3674 से लेकर 3724 तक कुल 51 (एकावन) आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त कराया गया है जिनमें सभी का नाम नामान्तरण प्रस्ताव समर्पित किया गया। जिसमें आर०टी०पी०एस० क्रमांक 3690 का शुद्धि पत्र प्राप्त नहीं हुआ। आर०टी०पी०एस० क्रमांक 3684 दाखिल खारिज वाद संख्या 2735/2014–15 दिनांक 31.07.2014 विक्रेता शीतल कुमार झा वगैरह क्रेता अनमोल खाँ, पिता– हरेकृष्ण खाँ, ग्राम– पड़री, मौजा नरियार, थाना नं०– 190 जमीन से संबंधित है। सो–मोटो दाखिल खारिज विवरणी के क्रम संख्या 30 पर दर्ज है। संबंधित पृष्ट की छाया प्रति संलग्न है। इस पर भी दाखिल खारिज वाद संख्या श्री संजीव कुमार झा, अंचल कार्यालय कर्मी के लिखावट में दर्ज है। किन्तु अंचल से आरोप पत्र के साथ संलग्न आर०टी०पी०एस० के सूची आर०टी०पी०एस० क्रमांक 3674 से 3724 तक छाया प्रति संलग्न आरोप पत्र के साथ–साथ संलग्न किया गया है। उसमें विदित होता है, कि आर०टी०पी०एस० क्रमांक 3684 में दुखा साह, पिता– महावीर साह का नाम दर्ज हुआ है, जबकि यहाँ अनमोल खाँ, पिता– हरेकृष्ण खाँ का नाम दर्ज होना चाहित था। कथन के सर्मथन में सो–मोटो आदेश दिनांक 02.09.2014 के संबंधित पृष्ट की छायाप्रति का कृपया अवलोकन किया जाय। इससे साबित हो जाता है कि अंचल कार्यालय, कहरा में दिनांक 31.07.2014 के क्रमांक 3674 से 3724 के बीच 3683 के साथ–साथ 3684 में भी दुखा साह, पिता– महावीर साह का नाम गलत दर्ज किया गया है एवं पंजी 27 में परिवर्त्तन किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि हल्का संख्या 05 अंचल कहरा में दिनांक 31.07.2014 को नामान्तरण हेतु आवेदनकर्त्ता दुखा साह, पिता– महावीर साह कोई नहीं है एवं आज तक किसी ने दावा भी नहीं किया है। इसलिए प्रमाणित हो जाता है कि जो अंचलाधिकारी, कहरा श्री अनिल कुमार सिंह, निगराणी के द्वारा भ्रष्ट आचरण में गिरफ्तार होकर जेल गये हुए है उन्हीं के इशारे पर पंजी 27 एवं आर०टी०पी०एस० क्रमांक को बदला गया एवं मुझ निर्दोष राजस्व कर्मचारी को बली का बकरा बनाया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि दैनिक समाचार में 15.01.2015 को प्रखंड की जमीन दान में दी गई है, तबतक भू–दान पर्चाधारियों का जमाबंदी कायम हो चुका था एवं पंजी–।। से उनके नाम को फाड़कर जमाबन्दी से अलग करने के लिए अंचलाधिकारी महोदय ने मौखिक कहे थे। जो मेरे द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने के कारण प्रपत्र–"क" में गलत आरोप लगाया गया है। यह बात महत्वपूर्ण है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा के समक्ष भी मैंने उक्त तथ्य रखा था और वे अपने जाँच में अंचल कार्यालय,		खारिज कर दर्ज किया गया अंकित है तथा जिसमें खाता–952/66 खेसरा नं0–4991/3094 रकबा 13 डी0 दर्ज किया पाया गया जो भूदान कमिटी द्वारा दिये गये पर्चा के आधार पर कायम किया गया है। पुनः आरोपी राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा बिना किसी सक्षम प्रधिकार के आदेश से जमाबंदी नं0– 4392, केश नं0–2539/14–15 में निर्गत रसीद संख्या –321198 को दिनांक 02.09.2014 रद्द कर दिया गया। (iii) आरोपी राजस्व कर्मी द्वारा रक्षी संचिका में मात्र 4 शुद्धि पत्र की छायाप्रति रक्षित पायी गई। सभी शुद्धि पत्र पर एक ही आर०टी०पी०एस० नं0 और ही केश नं0– 3683 एवं 2539/14–15 अंकित पाया गया। (vi) प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा आर०टी०पी०एस० नं0–3683 केश नं0 – 2539/14–15 के दाखिल खारिज के सम्पूर्ण प्रकृिया में राजस्व कर्मचारी श्री रामचन्द्र यादव आर०टी०पी०एस० कर्मी, प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री नेमानी सादा एवं कार्यालय कर्मी स्पष्ट तौर पर दोषी प्रतीत होते है संबंधी मन्तव्य दिया गया है। आरोपी राजस्व कर्मचारी श्री यादव द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है कि (i) दिनांक 31.07.2014 को आर०टी०पी०एस० संख्या– 3674 से 3724 तक कुल 51 आवेदन उनके द्वारा प्राप्त किया गया। (ii) श्री संजीव कुमार झा, अंचल कार्यालय, कहरा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सह दाखिल खारिज प्रभारी ने आर०टी०पी०एस० क्रमांक 3683 दिनांक 31.07.2014 ई० श्रीमती पिंकी गुप्ता, पति– विनोद कुमार अन्य तीन के सहित दिनांक 27.08.2014 को कुल बारह प्रस्ताव के साथ हल्का नं० 5 से संबंधित अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त किया है। अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 1878 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा आर०टी०पी०एस० संख्या– 3683 लंबित रखने के संबंध में आरोपी राजस्व कर्मचारी श्री यादव से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जो अप्राप्त रहने के कारण पुनः ज्ञापांक 72 दिनांक 22.01.2015 से स्मारित भी किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में राजस्व कर्मचारी श्री यादव के द्वारा अवैध दाखिल खारिज कर शुद्धि पत्र निर्गत करने का आरोप प्रमाणित होता है।

		कहरा में मूल दस्तावेज के साथ छेड़–छाड़ एवं गायब करने की सत्यता पाये है एवं श्रीमती मंजू देवी के नाम निर्गत शुद्धि पत्र पर अंचल अधिकारी, महोदय का हस्ताक्षर पाये है भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का पत्रांक 579–2 दिनांक 4 जून 2015 है। यह बात स्पष्ट है कि श्री संजीव कुमार झा, अंचल कार्यालय, कहरा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सह दाखिल खारिज प्रभारी ने आर०टी०पी०एस० क्रमांक 3683 दिनांक 31.07.2014 ई० श्रीमती पिंकी गुप्ता, पति– विनोद कुमार अन्य तीन के सहित दिनांक 27.08.2014 को कुल बारह प्रस्ताव के साथ हल्का नं० 5 से संबंधित अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त किया है। प्राप्ति की छाया प्रति पर श्री झा का लिखावट एवं हस्ताक्षर है। संलग्न किया जाता है। अंचल अधिकारी, कहरा द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समय पर अंचल कार्यालय, कहरा में समर्पित किया गया है श्रीमती पुनम देवी, सहायक प्रभारी को प्राप्त कराया गया है की छाया प्रति संलग्न। अंचल के ज्ञापांक 1878 दिनांक 29.12.2014 अधोहस्ताक्षरी को कभी भी प्राप्त नही कराया गया है।		
02	ज्ञापांक 1878 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण, आपको अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 72 दिनांक 22 जनवरी 2015 के द्वारा स्मारित भी की गई थी। आपके द्वारा स्पष्टीकरण अप्राप्त।	कार्यालय ज्ञापांक 1878 दिनांक 29. 12.2014 अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त नहीं कराया गया, उससे पहले दिनांक 22.01. 2015 को ज्ञापांक 72 निर्गत हुआ जो मुझे दिनांक 16.02.2015 को प्राप्त हुआ एवं ज्ञापांक 73 दिनांक 24.01.2015 को निर्गत हुआ जो दिनांक 28.01.2015 को स्पष्टीकरण ज्यों ही दिनांक 16.02.2015 को प्राप्त हुआ मैंने दिनांक 18.02.2015 को समर्पित किया।	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता –सह– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, सदर सहरसा का पत्रांक 471–2/सपत्र दिनांक 31.03.2017	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, सदर सहरसा के पत्रांक 579–2 दिनांक 04.06.2015 के अनुसार श्री यादव द्वारा दिनांक 28.01.2015 को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। स्पष्ट है कि श्री यादव द्वारा स्पष्टीकरण बिलम्ब से समर्पित किया गया। आरोप अशंतः प्रमाणित होता है।
03	दिनांक 24 जनवरी 2015 को दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित समाचार और दान में दे दी गई कहरा प्रखंड कार्यालय की जमीन खबर छपने एवं प्रेश प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराये गये दा०खा० शुद्धि पत्र की छाया प्रति पर आर०टी०पी०एस० संख्या 3683 दिनांक 31.07.2014 एवं वाद सख्या 2539/2014–15 अंकित रहने हेतु ज्ञापांक 73 दिनांक 24 जनवरी 2015 के द्वारा भी आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के साथ जिला भू–दान यज्ञ कार्यालय, सहरसा के पत्राक 17/014–15 दिनांक 21.07.2014 की छाया प्रति एवं उसके साथ संलग्न भू–दान पर्चा, भूमि वितरण सूची, जो कार्यालय/आर०टी०पी०एस० कोषांग को प्राप्त नहीं है, और न ही उक्त पत्र पर अधोहस्ताक्षरी एवं कार्यालय कर्मी का प्राप्ति हस्ताक्षर उपलब्ध है, की छाया प्रति के साथ–साथ उक्त अवैध शुद्धि पत्र की चार छाया प्रति संलग्न की गई है, जिस पर एक ही आर०टी०पी०एस० संख्या 3683 दिनांक 31 जुलाई 2014 अंकित की गई है जो आर०टी०पी०एस० कोषांग में दुखा साह, पिता– महावीर साह के नाम से दर्ज है एवं आपके द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2014 को ही कोषांग में स्वयं दर्ज कराते हुए प्राप्त किया गया है एव वर्त्तमान समय तक आपके पास लम्बित है, तथा उक्त अवैध चार शुद्धि पत्र के आधार पर कायम चार जमाबंदी क्रमशः 4389, 4390, 4391 एवं 4392 एवं लगान रसीद संख्या 00321195, 00321196, 00321197 एवं 00321198 जो आपके द्वारा निर्गत कर रद्द की गई है, की छाया प्रति भी संलग्न की गई है, जबकि कार्यालय के द्वारा उक्त विषयांकित दा०खा०वाद की शुद्धि पत्र की प्राप्ति आपको नहीं कराई गई है।	शुद्धिपत्र पर वाद संख्या 2539/2014–15 श्री संजीव कुमार झा के लिखावट में दर्ज है क्योंकि यह काम उन्हीं के जिम्मे रहता आया एवं क्रम संख्या 3683 आर०टी०पी०एस० श्रीमती पिंकी गुप्ता अन्य तीन श्री संजीव कुमार झा को दिनांक 27.08.2014 मैंने प्राप्त कराया है। जिस पर क्रमांक 3683 आर०टी०पी०एस० दर्ज है। अभिलेख का श्री संजीव कुमार झा ही कस्टोडियन है। उनसे अभिलेख माँगा जाय। सच्चाई के लिए जरूरी है श्री अनिल कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, कहरा ने संजीव कुमार झा से अभिलेख गायब करवाये हैं, पंजी 27 को भी बदलवाये है एवं आर०टी०पी०एस० में भी परिवर्त्तन करवाये है। अधोहस्ताक्षरी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। मंत्री भूदान कार्यालय, सहरसा के पत्रांक 17/14–15 दिनांक 21.07.2014 से चार भूदान पर्चा एक ही प्राप्त होने से एक ही अभिलेख से चार शुद्धिपत्र एवं चार जमाबंदी कायम किया गया एवं सभी शुद्धि पत्र पर श्री संजीव कुमार झा ने केश नं० 2539/2014–15 दर्ज किये श्री अनिल कुमार सिंह ने अपना हस्ताक्षर किये है श्रीमान् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता महोदय की जाँच में भी उनका हस्ताक्षर पाया गया है।	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा का पत्रांक 471–2/सपत्र दिनांक 31.03.2017	परिप्रेक्ष्य में आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पत्रांक 579–2 दिनांक 04.06.2016 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न साक्ष्यों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आर०टी०पी०एस० कर्मी श्री संजीव कुमार झा (जो पंजी 27 के कस्टोडियन भी थे), प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री नेमानी सादा के सहयोग से आरोपी राजस्व कर्मचारी द्वारा आर०टी०पी०एस संख्या 3683 के परिप्रेक्ष्य में अवैध शुद्धि पत्र निर्गत किया गया। इस प्रकार श्री यादव के विरूद्ध आरोप संख्या–03 भी प्रमाणित होता है।

04	विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, सहरसा के पत्रांक 1788 दिनांक 28 जून 2015 के आलोक में अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 748 दिनांक 09 जुलाई 2015 के द्वारा आपसे चौबीस घंटे के अन्दर स–साक्ष्य स्पष्टीकरण की मांग की गई। आपके द्वारा स्पष्टीकरण अप्राप्त।	अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 748 दिनांक 09.07.2015 विशेष कार्य पदाधिकारी के पत्रांक 1788 दिनांक 29.06.2015 के आलोक में दिनांक 14.07.2015 को स्पष्टीकरण तैयार कर समर्पित करने गया था जो किसी ने प्राप्त नहीं किया तो दिनांक 15.07.2015 को 3.10 अपराह्न में संजीव कुमार झा ने प्राप्त किया है। प्राप्ति साक्ष्य संलग्न किया जाता है।	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा का पत्रांक 471–2/सपत्र दिनांक 31.03.2017	आरोपी राजस्व कर्मचारी श्री यादव द्वारा उक्त आरोप के संदर्भ में दिये गये स्पष्टीकरण के समर्थन में साक्ष्य नहीं है। अतः आरोप अंशतः प्रमाणित होता है।
05	स–समय स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने हेतु अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 764 दिनांक 15 जुलाई 2015 के द्वारा आपको पत्र प्राप्ति के साथ ही स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु स्मारित की गई। आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि आपने उक्त स्पष्टीकरण के माध्यम से आर०टी०पी०एस० संख्या 3683 दिनांक 31 जुलाई 2014 के साथ संलग्न दुखा साह, पिता– महावीर साह के केवाला की छाया प्रति की मांग की है, जो हास्यापद प्रतीत होती है, क्योंकि उक्त केवाला आपके द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त कर सोमोटो चार्ट तैयार करने हेतु स्वयं आर०टी०पी०एस० कोषांग में दर्ज कराते हुए सीधे प्राप्त किया गया है, तथा भू–दान से प्राप्त पत्र एवं पर्चा आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, के संबंध में साक्ष्य की मांग आपसे की गई है, जो आपने उपलब्ध नहीं कराया है, जिस आधार पर आपने उक्त अवैध दाखिल खाजिर वाद का सृजन कर रसीद निर्गत किया तथा मामला प्रकाश में आने पर उक्त निर्गत रसीद को रद्द कर दिया।	अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 764 दिनांक 15.07.2015 के स्पष्टीकरण दिनांक 21.07.2015 को निबंधित डाक से समर्पित किया जा चुका है। प्राप्ति की छाया प्रति संलग्न एवं डाक रसीद संलग्न। भूदान से प्राप्त पर्चा के संबंध में भूदान कार्यालय मंत्री से सूचना के अधिकार में प्राप्त किया गया है कि उन्होंने ही अंचल कार्यालय में जमा किये है जो जिला मंत्री भूदान कार्यालय के पत्र संख्या 17/014–15 दिनांक 21.07.2014 के साथ संलग्न है। अस्तु विचारणीय बिन्दु है कि रामेश्वर यादव, पिता– स्व० मोती लाल यादव के संलग्न छायाप्रति अभिलेख पर आर०टी०पी०एस० नं० 2343/17.05.2014 एवं केश नं० 2539/14–15 श्री संजीव कुमार झा के लिखावट में दर्ज है एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा समर्पित साक्ष्य क्रम संख्या 1 श्रीमती पिंकी गुप्ता, मंजू देवी, श्वेतलाना एवं पुतुल देवी पर भी वाद संख्या 2539/14–15 श्री संजीव कुमार झा के लिखावट में दर्ज है एवं इस पर अंचल अधिकारी का लघु हस्ताक्षर भी दर्ज है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा समर्पित साक्ष्य क्रम संख्या 02 पर आर०टी०पी०एस० क्रमांक 3684 वाद संख्या 2735/14–15 संजीव कुमार झा के लिखावट में है जिस पर अंचल अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक का भी हस्ताक्षर है अनमोल खाँ पे० हरेकृष्ण खाँ, ग्राम– पड़री का है तो फिर अंचल अधिकारी के अनुलग्नक 3 में 3684 में दुखा साह, पिता– महावीर साह कैसे दर्ज है अधोहस्ताक्षरी ने क्रम संख्या 04 में साक्ष्य समर्पित किये है कि आर०टी०पी०एस० क्रमांक 3683 का अभिलेख दिनांक 27.08.2014 को श्री संजीव कुमार झा को प्राप्त कराया है। श्रीमती पूनम देवी, अंचल सहायक को दिनांक 28.01.2015 एवं 18.02.2015 को स्पष्टीकरण प्राप्त कराया का साक्ष्य क्रम संख्या 05 एवं क्रम संख्या 06 में साक्ष्य स्पष्टीकरण श्री संजीव कुमार झा को प्राप्त कराया गया है। क्रम संख्या 07 में निबंधित डाक से स्पष्टीकरण समर्पित करने का साक्ष्य एवं क्रम संख्या 08 में विनोवा भावे के नाम विवादित खेसरा 3094 जिसका रकवा 31डी० का खेसरा पंजी में अंकित है का समर्पित किये है एवं क्रम संख्या 09 में भूदान से प्राप्त सूचना है।	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा का पत्रांक 471–2/सपत्र दिनांक 31.03.2017	आरोप संख्या –01 में वर्णित मन्तव्य। साथ ही आरोपी कर्मी द्वारा आरोप संख्या–05 के संदर्भ में दिया गया स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य प्रमाणित नहीं है। अतः आरोप संख्या–05 भी प्रमाणित होता है।

संचालन पदाधिकारी –सह– स्थापना उप समाहर्त्ता, सहरसा का निष्कर्ष :–उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी राजस्व कर्मचारी श्री रामचन्द्र यादव के विरूद्ध आरोप संख्या– 01, 03 एवं 05 प्रमाणित होते हैं एवं आरोप संख्या– 02 एवं 04 अंशतः प्रमाणित होते हैं।

आरोपी कर्मी से द्वितीय पृच्छा–

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत् आरोपी द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर दण्डात्मक आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु एक अवसर प्रदान किया गया। इस सिद्धांत के आधार पर इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1226 दिनांक 21-09-2017 द्वारा दिनांक 05-10-2017 तक द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। आरोपी कर्मी ने दिनांक 05-10-2017 को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया है।

निष्कर्ष :– आरोपी श्री रामचन्द्र यादव, राजस्व कर्मचारी, अंचल कहरा सम्प्रति मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर के विरूद्ध "प्रपत्र–क" में गठित आरोप, उपस्थापन पदाधिकारी के मन्तव्य, आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा एवं द्वितीय कारण–पृच्छा तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

श्री रामचन्द्र यादव, राजस्व कर्मचारी, अंचल कहरा सम्प्रति मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर के विरूद्ध आरोप प्रपत्र–"क" में श्रीमती मंजू देवी, पति– श्री रविन्द्र साह, साकिन– कहरा के नाम, कहरा प्रखंड परिसर की तीन कट्ठा भूमि का गलत तरीके से दाखिल खारिज शुद्धि पत्र की छाया प्रति का सृजन करने एवं जमाबन्दी कायम कर रसीद निर्गत करने एवं अन्य आरोपों को सम्पुष्ट करता है तथा उनके अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता, सरकारी दायित्व निर्वहन में जानबूझकर अनियमितता करना एवं भ्रष्ट आचरण का द्योतक है। श्री यादव का उक्त आचरण सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2005 एवं संशोधित में निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे भ्रष्ट एवं अनुशासनहीन सरकारी सेवक को सेवा में बने रहने देने से इसका प्रतिकूल प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है। फलस्वरूप श्री यादव को बर्खास्तगी से कम की सजा दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (अद्यतन संशोधित) नियम 14 (IX) एवं 14(X) (संशोधित) के आलोक में मैं विनोद सिंह गुंजियाल, (भा०प्र०से०) समाहर्त्ता–सह– जिलाधिकारी, सहरसा श्री रामचन्द्र यादव, राजस्व कर्मचारी, अंचल कहरा सम्प्रति मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर को आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ।

श्री रामचन्द्र यादव से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

1. नाम	:–	श्री रामचन्द्र यादव
2. पदनाम	:–	राजस्व कर्मचारी
3. पिता का नाम	:–	श्री जामून यादव
4. जन्म तिथि	:–	04-08-1958
5. नियुक्ति की तिथि	:–	19-06-1984
6. सेवानिवृत्त की तिथि	:–	31-03-2018
7. वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन	:–	9300-34800/4800
8. स्थाई पता	:–	ग्राम+पोस्ट– बधवा, थाना– महिषी, जिला– सहरसा।
9. वर्त्तमान पता	:–	मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर

ह०/–
जिलाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 35-71/2015 1378 /स्था० सहरसा, दिनांक 31/10/ 2017 ई०।

प्रतिलिपिः– श्री रामचन्द्र यादव, राजस्व कर्मचारी, अंचल कहरा सम्प्रति मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, (जिला गजट प्रशाखा) सहरसा को जिला ग़जट में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, सहरसा/उप विकास आयुक्त, सहरसा/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाहर्त्ता के गोपनीय शाखा, सहरसा/अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सहरसा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा/आई०टी० मैनेजर, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राज्य गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
सहरसा।